बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
।। अधिसूचना ।।

अधि० सं० :–प्र०2/स्था०–नियुक्ति–01–01/2018 2078(S) पटना, दिनांक : 9.3.26

बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग–II के अन्तर्गत सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) के पदों पर नियमित चयन/नियुक्ति/अनुशंसा हेतु बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग–II भर्त्ती (संशोधन) नियमावली, 2022 के प्रावधानों के तहत संविदा अनुभव के अंकों की अधिमानता के संबंध में विभागीय अधिसूचना संख्या–5565 (एस) दिनांक 09.11.2022 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश पर कई अभ्यर्थियों द्वारा आपत्ति करते हुए संशोधन करने के अनुरोध पर सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श एवं विद्वान महाधिवक्ता की विधिक सहमति के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:–

"(i) बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग–II भर्त्ती नियमावली 2022 (समय–समय पर यथासंशोधित) में विहित संविदा नियोजित सहायक अभियंता को नियमित नियुक्ति के क्रम में 25 प्रतिशत अंकों की अधिमानता दिये जाने संबंधी विद्यमान प्रावधान राज्य सरकार का एक सुविचारित एवं तर्कसंगत निर्णय है जिसमें कोई संशोधन अपेक्षित नहीं है।

(ii) किसी संविदा नियोजित सहायक अभियंता के, संविदा नियोजन के फलस्वरूप अंकों की अधिमानता का लाभ देते हुए, किसी एक कार्य विभाग के अभियंत्रण संवर्ग के सहायक अभियंता के पद पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा चयनित/अनुशंसित होने पर भविष्य में उन्हें सहायक अभियंता संवर्ग में नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में संविदा नियोजन के आधार पर अंकों की अधिमानता का लाभ नहीं दिया जाय। ऐसे अभ्यर्थियों के अभ्यर्थित्व पर आयोग द्वारा अधिमानता अंक का लाभ दिये बिना विचार किया जाय।

(iii) उप कंडिका–(ii) का निर्णय पूर्व में प्रकाशित ऐसे विज्ञापनों पर भी प्रभावी होगा, जिसकी चयन प्रक्रिया सम्प्रति प्रक्रियाधीन है।"

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(पंकज कुमार पाल)
सचिव

ज्ञापांक :–प्र०2/स्था०–नियुक्ति–01–01/2018 2079(S) पटना, दिनांक 9.3.26

प्रतिलिपि– महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव

P.T.O

ज्ञापांक :–प्र०2 / स्था०–नियुक्ति–01–01 / 2018 2079 (S) पटना, दिनांक 9.3.26
प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, ई०–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव

ज्ञापांक :–प्र०2 / स्था०–नियुक्ति–01–01 / 2018 2079 (S) पटना, दिनांक 9.3.26
प्रतिलिपि– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव

ज्ञापांक :–प्र०2 / स्था०–नियुक्ति–01–01 / 2018 2079 (S) पटना, दिनांक 9.3.26
प्रतिलिपि– सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना / मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना / अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबधन / मुख्यायल), पथ निर्माण विभाग / सभी मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग / निदेशक, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान, पटना / लोकायुक्त के सचिव, बिहार, पटना / मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव

ज्ञापांक :–प्र०2 / स्था०–नियुक्ति–01–01 / 2018 2079 (S) पटना, दिनांक 9.3.26
प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव / मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव / सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग के वरीय आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव

ज्ञापांक :–प्र०2 / स्था०–नियुक्ति–01–01 / 2018 2079 (S) पटना, दिनांक 9.3.26
प्रतिलिपि – आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर प्रचारित करने हेतु प्रेषित।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव